उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः1145/VII–3–23/04(01)–एम0एस0एम0ई0/2023
देहरादूनः दिनांकः09 अगस्त, 2023

अधिसूचना

एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी विकास, अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत वर्तमान परिदृश्य और अनुमानित भविष्य के अनुरूप रोजगार सृजन एवं स्वरोजगार हेतु **"सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023"** निम्नवत् प्रख्यापित किये जाने हेतु एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. प्रस्तावना–

राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र के पश्चात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार, प्रदेश में पूंजी निवेश तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कृत संकल्पित है। एमएसएमई सहित बृहत उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाओं के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं, परन्तु एमएसएमई क्षेत्र, में विशेष रूप से औद्योगिक रूप से पिछड़े पर्वतीय जिलों में बुनियादी ढांचे, क्रेडिट लिंकेज, विपणन की समस्या के कारण आशानुरूप प्रगति नहीं हो पाई है। अतः अन्य पड़ोसी राज्यों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देकर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी विकास को केन्द्रित तरीके से बढ़ावा देने के लिए एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत वर्तमान परिदृश्य और अनुमानित भविष्य के अनुरूप, राज्य सरकार द्वारा **उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2023** घोषित की जा रही है।

2. उद्देश्य–

- उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, विशेषकर स्टार्टप्स, स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उत्पाद, नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा तथा प्रदूषण मुक्त उद्योगों के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रतिस्थापित करना, जो सुरक्षित, स्थायी और समावेशी हो और जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के विनिर्माण के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हों।
- नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए पूंजी तक पहुंच बनाना, ताकि राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित कर अन्य प्रदेशों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जा सके।
- मौजूदा एमएसएमई के विस्तार, स्केलिंग–अप और विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
- नई तथा विद्यमान इकाइयों में अधिकाधिक रोजगार सृजन।
- उद्यमिता, रोजगार एवं प्रति व्यक्ति आय के मानकों पर क्षेत्रीय असमानताओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य व्याप्त असमानताओं को कम करने का प्रयास।
- राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का अधिकतम लाभ।
- पूर्व से स्थापित इकाइयों के उन्नयन एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उत्कृष्ट आधुनिक तकनीकी युक्त संवेदनशील प्रशासकीय व्यवस्था का निर्माण।

3. रणनीति–

नीति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार निम्नलिखित रणनीति के अनुरूप कार्य योजना का निर्माण करेगी:–

- वर्तमान में विद्यमान उद्यमों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन के लिये संसाधनों को उपलब्ध कराना, अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना एवं निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आसन्न विषयों को विशेष रूप से संबोधित करना और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर पूंजी और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए भूमि/स्थान की उपलब्धता सुलभ बनाना, नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा विद्यमान अवसरंचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन।
- सुगमता एवं सहजता के साथ व्यापार करने के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण का सृजन।
- पर्यावरण संतुलन के दृष्टिगत स्थाई तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहन।
- गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन एवं मानकीकरण के लिये वित्तीय प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत करना।
- नयी इकाईयों की स्थापना तथा विद्यमान इकाईयों के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिये बैंक के माध्यम से लिये जाने वाले टर्म लोन पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर, राज्य में उद्यमों पर ऋण भार कम करना।
- निवेश के आकर्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता तथा उपादान प्रक्रिया का सरलीकरण।
- क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या का समाधान करने की दिशा में सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए विशेष प्रोत्साहन देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुए दिव्यांग, महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा प्रदान करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों की गुणवत्ता विकास के लिए तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- राज्य में अधिक सम्भावना वाले उत्पादों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना।
- क्लस्टर के रूप में उद्यम स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- भारत सरकार के **"एक जनपद एक उत्पाद"** कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित **"एक जनपद दो उत्पाद"** नीति के तहत चिन्हित उत्पादों की पहचान बढ़ाना तथा राज्य में निर्मित उत्पादों को बाजार तक पंहुच बनाने के लिए "एक जनपद दो उत्पाद" के तहत चिन्हित उत्पादों एवं राज्य के **"जीआई (Geographical Indication) टैग"** प्राप्त उत्पादों को विशेष प्रोत्साहन देना।
- भारत सरकार की योजनाओं और संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं और संसाधनों के साथ अभिसरण (Convergence)।
- मुद्रा, स्टार्ट–अप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एवं भारत सरकार के अन्य मिशन मोड कार्यक्रमों एवं योजनाओं से समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं का निर्माण करना।
- वैश्विक मान्यता के लिए उत्पाद ब्राण्डिंग **"मेक इन उत्तराखण्ड"** को प्रोत्साहित करना।

4. परिभाषाएं–

i. **राज्य** से तात्पर्य, उत्तराखण्ड राज्य से है।

ii. **नीति** से तात्पर्य, उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 से है।

iii. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम** से तात्पर्य है, जैसा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 तथा इसमें समय–समय पर हुए संशोधनों में परिभाषित किया गया है।

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.06.2020 से "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में संशोधन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा में निम्नलिखित परिवर्तन किये हैं:–

क. **सूक्ष्म उद्यम** वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपरकर में एक करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।

ख. **लघु उद्यम** वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपरकर में दस करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।

ग. **मध्यम उद्यम** वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपरकर में पचास करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।

iv. **विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमः** विनिर्माणक/उत्पादक उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो और जो अन्तिम उत्पाद के मूल्य वर्धन में संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करता हो।

v. **स्टार्टअप** का अर्थ उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2023 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से है तथा जिनका विनिर्माण उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में किया जाता है।

vi. **जीआई टैग उत्पाद** का अर्थ महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क, उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र के उत्पादों हेतु जारी जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों से है, जिनका विनिर्माण उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में किया जाता है।

vii. **एक जनपद दो उत्पाद (ओडीटीपी)** का अर्थ उत्तराखण्ड राज्य की एक जनपद दो उत्पाद योजना–2021 के तहत चिन्हित उत्पाद से है, जिनका विनिर्माण उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में किया जाता है।

viii. **क्लस्टर** से तात्पर्य एक सतत् निर्धारित भौगोलिक सीमा में स्थित, एक मूल्य श्रृंखला से सम्बद्ध, एक समान उत्पाद/पूरक उत्पाद/सेवा का उत्पादन करने वाले न्यूनतम 10 उत्पादक इकाईयों के समूह से है, जिनको समान भौतिक सुविधाओं/संसाधनों की आवश्यकता हो।

ix. **वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत** से तात्पर्य, इकाई में संयंत्र एवं मशीनरी/उपस्कर का पूर्ण अधिष्ठापन करते हुये, परीक्षण उत्पादन के उपरान्त, स्थापित संयंत्र एवं मशीनरी का संचालन करते हुये वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन प्रारम्भ करने से है।

x. **नई औद्योगिक इकाई** का अर्थ एक ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसने अपना वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति के जारी होने की तिथि के बाद प्रारम्भ किया है।

xi. **विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण का अर्थ** एक ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसने इस नीति के जारी होने की तिथि से पूर्व ही वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन प्रारम्भ कर लिया हो तथा विद्यमान इकाई द्वारा इस नीति के जारी होने के पश्चात् अपनी उत्पादन क्षमता में

विस्तारीकरण/विविधिकरण के उद्देश्य से विद्यमान स्थायी पूंजी निवेश (भवन, संयंत्र व मशीनरी तथा उपस्कर) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किया हो तथा इससे इकाई की क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती हो।

xii. **स्थायी पूंजी निवेशः** एम0एस0एम0ई0 इकाइयों द्वारा भवन, संयंत्र व मशीनरी एवं उत्पादन कार्य में संलग्न अन्य उपस्कर और इस तरह की अन्य परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश, जो वाणिज्यिक उत्पादन से पूर्व, अंतिम उत्पाद (End Product) के विनिर्माण के लिए आवश्यकतानुसार किया गया हो, को निम्नानुसार स्थायी पूंजी निवेश के विनिर्धारण के लिए गणना में लिया जाएगाः–

क. **भवनः** भवन का तात्पर्य परियोजना के लिए निर्मित एक नया कार्यशाला भवन, जिसमें भण्डारण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्मित अन्य भवन भी शामिल हैं। परियोजना लागत के अन्तर्गत नए कार्यशाला तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्मित भवनों पर किये गये आवश्यक एवं वास्तविक व्यय की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

i. संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के लिए बनाया गया भवन,

ii. अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) गतिविधियों के लिए बनाया गया भवन,

iii. इन–हाउस परीक्षण सुविधाओं (टेस्टिंग फैसिलिटीज) के लिए बनाया गया भवन,

iv. भंडारण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए बनाए गए भवन,

v. अग्नि शमन तथा विद्युत पारेषण व्यवस्था कक्ष,

vi. जल संयोजन के लिए निर्मित टंकी।

ख. **प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण (संयंत्र एवं मशीनरी)**: प्लांट और मशीनरी से तात्पर्य नए संयंत्र और मशीनरी, डाइज और मोल्ड्स और ऐसे अन्य उपकरणों से है, जो उत्पाद के विनिर्माण/प्रचालन के लिए सीधे उपयोग में लाये जाते हैं। परियोजना लागत के अन्तर्गत प्लांट और मशीनरी को स्थापित करने, संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए आन्तरिक विद्युत लाईनों, स्विच बोर्ड, एमसीबी बॉक्स आदि पर किया गया व्यय, संयंत्र व मशीनरी की परिवहन लागत तथा बीमा व्यय भी सम्मिलित होगा। यदि संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए विद्युत सब–स्टेशन अथवा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किया जाता है, तो इनकी लागत भी विद्युतीकरण के अन्तर्गत आंगणित की जायेगी। प्लांट और मशीनरी में निम्नलिखित व्यय को भी सम्मिलित किया जा सकता हैः–

i. गैर–पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र।

ii. बिजली उत्पादन के लिए कैप्टिव पॉवर प्लान्ट, गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र, कैप्टिव पावर प्लांट को प्लान्ट एवं मशीनरी के रूप में लाभ हेतु तभी गणना में लिया जायेगा जब इनसे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के लिये किया जाये।

iii. परीक्षण उपकरण (Testing Equipment)।

iv. विनिर्माण उद्यम हेतु पानी की शुद्धि के लिए संयंत्र।

v. प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के लिए संयंत्र, जिसमें संग्रह, ट्रीटमेंट, अपशिष्ट/उत्सर्जन या ठोस/गैसीय खतरनाक कचरे के निपटाने की सुविधा सम्मिलित है।

vi. डीजल जनरेटर सेट्स और बॉयलर।

vii. विनिर्माण उद्यम हेतु ईटीपी संयंत्र।

xiii. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** का अर्थ कृषि/बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण (संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करके) के बाद तैयार किए गए ऐसे मूल्यवर्धित उत्पादों से है जो उनके मूल भौतिक स्वरूप से भिन्न होते हैं, उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता भी होती है और उन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसेः खाने या पकाने के लिए तैयार खाद्य

पदार्थ, खाद्य योजक (Food Additive), परिरक्षक (Preservative), रंग एवं सुगंध और दूध से विनिर्मित मूल्यवर्द्धित उत्पाद।

xiv. **सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद** से तात्पर्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 459, दिनांक 12.08.2021 से यथा परिभाषित प्लास्टिक की मद से है, जिसके निपटान अथवा पुनर्चक्रण से पहले उसे एक ही प्रयोजन के लिये एक बार ही उपयोग किया जाना है।

xv. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण** से तात्पर्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 459, दिनांक 12.08.2021 से यथा परिभाषित ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, सह–प्रसंस्करण अथवा नये उत्पादों में परिवर्तन के प्रयोजन से है, जिसे प्रबंधित किया गया है।

xvi **सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद** से तात्पर्य ऐसे उत्पादों से है, जिसे उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना सं0 374/VII-3-23/04(01)/एमएसएमई/2022, दिनांक 22 फरवरी, 2023 के अनुलग्नक–I में उल्लिखित किया गया है।

xvii **भट्ठी (Furnace)** का अर्थ, धातु पिघलाने एवं किसी वस्तु को अत्यधिक गर्म करने के लिये उपयोग में आने वाले विशाल परिबद्ध धधकती आग से है।

xviii **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों** से तात्पर्य ऐसी इकाइयों से है, जो या तो पूर्ण रूप से इस श्रेणी के उद्यमियों के स्वामित्व की इकाई हैं अथवा साझेदारी या निगमित कम्पनी में इस श्रेणी के साझेदारों/निदेशकों की न्यूनतम अंशपूंजी 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के हों।

xix. **प्राथमिकता श्रेणी उद्यम** से तात्पर्य इस नीति के अंतर्गत प्रस्तर–6 (ब) में उल्लिखित विनिर्माणक उद्यम से है।

xx. **अति–प्राथमिकता श्रेणी उद्यम** से तात्पर्य इस नीति के अंतर्गत प्रस्तर–6 (स) में उल्लिखित विनिर्माणक उद्यम से है।

xxi. **एंकर(Anchor) उद्यम** से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम रू0 10 करोड़ का पूंजी निवेश एवं न्यूनतम 25 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार दिया गया है तथा जिसके न्यूनतम 7 सहायक उद्यम, राज्य की सीमा में कार्यरत हैं।

xxii **सहायक (Ancillary) उद्यम** से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो अपने कुल वार्षिक उत्पादन का न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग की आपूर्ति, राज्य में स्थापित अपने एंकर उद्यम को करती है।

xxiii **स्थायी रोजगार** का अर्थ पंजीकृत स्थापित उद्योगों में नियोक्ता द्वारा प्रबंधन/कुशल/अकुशल श्रमिक वर्ग में नियमित रूप से नियोजित प्रदेश के स्थायी/मूल निवासी कर्मकरों/श्रमिकों से है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ठेकेदारों के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला रोजगार स्थायी रोजगार की श्रेणी में शामिल नहीं होगा।

5. वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए क्षेत्रों का वर्गीकरण–

प्रदेश के जनपदों को भौगोलिक परिस्थितियों तथा इन जनपदों में हुए औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु निम्नांकित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण स्थान, पड़ोसी राज्य की सीमा तथा बाजार से दूरी और क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास व पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है :–

श्रेणी	सम्मिलित / आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी–ए	जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग।
	जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग।
	जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।
श्रेणी–सी	जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रेती एव उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
	जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
	जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग।
	जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र।
	जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

6. वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित गतिविधियां / क्रियाकलाप–

अ. विनिर्माणक क्षेत्र के अनुमन्य क्रियाकलाप / गतिविधियां:–

i. निषेध सूची में दिये गये उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के अन्य सभी विनिर्माणक उद्यम।

ii. गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन।

निषेध सूची: संलग्नक–1 (अ)

ब. प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम: संलग्नक–1 (ब)

स. अति–प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम: संलग्नक–1 (स)

7. संस्थागत व्यवस्थाएँ–

7.1 व्यापार करने में सुगमता, अनुकूल वातावरण का सृजन एवं संवेदनशील प्रशासन–

सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों व संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में तकनीकी रूप से सक्षम तथा संवेदनशील प्रशासनिक मशीनरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। कार्मिकों की तकनीकी क्षमता का विकास एवं उद्योग अनुकूल वातावरण (कन्ड्यूसिव इण्डस्ट्रियल इनवायरमेंट) हेतु अपेक्षित संवेदनशीलता का प्रवाह किया जाएगा। राज्य सरकार, जिला उद्योग केंद्रों में तकनीकी सुविधा प्रदान कर आधुनिकीकृत करेगी, जिससे कि परामर्श देने हेतु सक्षम हेल्पडेस्क, सिंगल विण्डो प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उद्यमों की परियोजना निर्माण आदि सेवायें सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा सकें। इस हेतु यथासम्भव विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी। इसके लिए जिला उद्योग केंद्रों के संरचनात्मक ढांचे में सुधार किया जाएगा, उन्हें उच्च गति इंटरनेट / ब्रॉडबैण्ड से

जोड़ा जाएगा एवं वीडियो कांन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ईआरपी/विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन/समस्या/सुझाव को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं उस पर की जा रही कार्यवाही का निरंतर ऑनलाइन पर्यवेक्षण किया जाएगा। विभाग की समस्त सेवायें यथासम्भव ऑनलाइन की जायेंगी।

7.2 उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर एक समर्पित **'निवेश संवर्धन एवं सुविधा केंद्र' (आईपीएफसी)** पहले से ही कार्य कर रहा है, जो निवेशकों/व्यवसायियों के लिए एक केंद्रीकृत वन–स्टॉप–शॉप के रूप में कार्य करते हुए समन्वित रूप से व्यवस्थित हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। इन निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केन्द्रों को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित सभी संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

7.3 महिला उद्यमियों तथा दिव्यांगों के लिए पृथक से **हैल्पडेस्क सेवा** उपलब्ध करायी जायेगी।

7.4 **उद्यम प्रोत्साहन एवं इन्वेस्टर फैसिलिटेशन,** जिला उद्योग केन्द्रों के प्रमुख कार्यो में सम्मिलित है। जहां उद्यम प्रोत्साहन के लिए प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करना नितांत आवश्यक है, वहीं इन्वेस्टर फैसिलिटेशन हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को सक्षम बनाने के लिए समुचित मानव संसाधन भी आवश्यक है। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार एक योजना/कार्यक्रम लाएगी, जहां जिला उद्योग केन्द्रों की मानव संसाधन की आवश्यकता पूर्ति हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान, शासकीय विभागों के सेवानिवृत्त अनुभवी विशेषज्ञ कार्मिकों अथवा व्यावसायिक एवं तकनीकी, प्रबन्धन संस्थानों में अध्ययनरत/उत्तीर्ण छात्रों की यंग प्रोफेशनल/इन्टर्न के रूप में अनुबन्ध के आधार पर अल्पकालिक सेवा में संविदा पर लिया जायेगा। इन्टर्नशिप के समय छात्र/यंग प्रोफेशनल्स स्वयं भी उद्यम प्रारम्भ एवं संचालित करने की प्रक्रिया से परिचित होंगे, परिणामस्वरूप, उनके लिए यह इन्टर्नशिप एक व्यावहारिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) की तरह होगा तथा इस प्रकार जिला उद्योग केंद्र भविष्य के उद्यमियों के लिए एक नर्सरी के रूप में उभरेगा।

7.5 विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को विस्तारीकरण एवं विविधीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन नई इकाइयों की तरह सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

7.6 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित क्लस्टर विकास योजना की तर्ज पर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की क्लस्टर के रूप में स्थापना हेतु **योजना अवधि में प्रदेश में 50 क्लस्टर** विकसित किये जायेंगे। इन क्लस्टरों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सतत विकास तथा उनसे सम्बन्धित सामान्य विषयों, जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल तथा गुणवत्ता विकास, बाजार एवं पूंजी तक पहुंच सुगम बनाने के लिए संस्थागत सुविधायें तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे क्लस्टर्स में सामान्य सुविधा केन्द्रों की भी स्थापना की जायेगी, ताकि क्लस्टर्स में स्थापित होने वाले उद्योग इनका लाभ उठा सकें। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के लिए अधिकतम रू. 05 करोड़ तक की सहायता भूमि एवं भूमि विकास, अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, मशीनरी एवं उपकरण, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की उपलब्धता हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में देय होगी।

7.7 उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिये **वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल एवं कॉल सेन्टर** की प्रणाली को और सशक्त किया जायेगा।

7.8 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुगमता से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के

लिए **निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना** के लिए नीति घोषित की जाएगी, इस नीति में निजी क्षेत्र के प्रवर्तकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिये जायेंगे।

8. वित्तीय प्रोत्साहन सहायता–

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं अन्य प्रदेशों के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगी :–

8.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सहायता – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म उद्यमों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु सहायता दी जायेगी। इसके लिये उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा सलाहकारों (Consultants) का मनोनयन (Empanelment) किया जायेगा। राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों द्वारा मनोनीत सलाहकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर, शुल्क के रूप में होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बन्धित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त, दावा प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

8.2 स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्तिः ए, बी, सी व डी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की निम्नवत् प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर देय होगी–

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रतिशत
श्रेणी –ए	100 प्रतिशत
श्रेणी– बी	100 प्रतिशत
श्रेणी– सी	75 प्रतिशत
श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

8.3 पूंजीगत उपादानः प्रदेश में स्थापित होने वाले, चिन्हित श्रेणी के, नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को, उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, निम्नानुसार पूंजीगत उपादान सहायता देय होगीः–

इकाई श्रेणी ►	सूक्ष्म	लघु		मध्यम
जनपद/क्षेत्र श्रेणी ↓	संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में रू. 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में रू. 01 करोड़ से अधिक, रू. 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में रू. 05 करोड़ से अधिक, रू. 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में रू. 10 करोड़ से अधिक, रू. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम
श्रेणी–ए	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम	रू. 50 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश	रू. 1.50 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त	रू. 2.50 करोड़ + रू. 10 करोड़ से

	रू. 50 लाख)	का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.50 करोड़)	स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.50 करोड़)	ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 3.75 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 करोड़)
श्रेणी–बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)	रू. 40 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.20 करोड़)	रू. 1.20 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 16 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़)	रू. 02 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 03 करोड़)
श्रेणी–सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 30 लाख)	रू. 30 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 12.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 80 लाख)	रू. 80 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.20 करोड़)	रू. 1.20 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़)
श्रेणी–डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 20 लाख)	रू. 20 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम	रू. 60 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @	रू. 90 लाख + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त

		रू. 60 लाख)	06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 90 लाख)	स्थायी पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.50 करोड़)

8.3.1 इस नीति के अंतर्गत "**प्राथमिकता श्रेणी**" के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की राज्य में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।

8.3.2 इस नीति के अंतर्गत "**अति–प्राथमिकता श्रेणी**" के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की श्रेणी–ए अथवा बी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 10 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 10 लाख, लघु उद्यम– रू0 15 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 20 लाख) तथा श्रेणी–सी व डी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।

8.3.3 इस नीति के अंतर्गत चिन्हित श्रेणी की नयी **एंकर (Anchor) इकाई एवं न्यूनतम 7 सहायक (Ancillary)** इकाईयों की राज्य में स्थापना पर एंकर इकाई तथा सभी नयी सहायक इकाईयों (यदि वे चिन्हित उद्यम श्रेणी में सम्मिलित हैं) को 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।

8.3.4 इस नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले, **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों** को 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।

8.3.5 किसी भी उद्यम द्वारा, इस नीति के अंतर्गत वर्णित विशिष्ट श्रेणी में से, एक श्रेणी का ही लाभ लिया जा सकेगा।

8.3.6 पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु **स्थायी पूंजी निवेश** के लिए कार्यशाला भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी निवेश को आंगणन में लिया जायेगा, परन्तु इकाई की पात्रता श्रेणी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) का निर्धारण मात्र संयंत्र एवं मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा। स्थायी पूंजी निवेश के रूप में "भूमि एवं भूमि विकास" में किये गये निवेश को पूंजी उपादान के लिये आंगणन में नहीं लिया जायेगा।

8.3.7 विनिर्माणक क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म उद्यम, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम **(पीएमईजीपी)**, **पीएमएफएमई** (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) अथवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना **(एमएसवाई)** के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है, को सर्वप्रथम इन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। यदि ये इकाईयां एमएसएमई नीति–2023 की अनुमन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, तो बैंकों द्वारा

अनुमोदित परियोजना के कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर मद के लिए स्वीकृत/संवितरित बैंक ऋण पर अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को, एमएसएमई नीति–2023 में अनुमन्य कुल पूंजीगत उपादान में से घटाकर अवशेष धनराशि **टॉप–अप सहायता** के रूप में दी जायेगी।

8.3.8 यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये कोई नयी नीति जारी की जाती है तो, उक्त नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/उपादान को एमएसएमई नीति–2023 में देय वित्तीय प्रोत्साहन से समायोजित किया जायेगा।

8.3.9 **पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण –**

सूक्ष्म उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 2 वर्षों में, 2 समान किश्तों में।

लघु एवं मध्यम उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 5 वर्षों में, 5 समान किश्तों में।

8.4 **ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति** – प्रदेश में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर निम्नवत् ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगी–

जनपद/क्षेत्र श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा/सीमा		
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
ए	4 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
बी	4 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
सी	4 प्रतिशत (अधिकतम रू0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
डी	4 प्रतिशत (अधिकतम रू0 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

8.5 **विद्युत ड्यूटी पर छूट** – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 कि0वा0 तक हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जायेगी।

8.6 **गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति**– राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ. /आई.एस.आई. /बी.आई.एस. /पेटेंट /क्वालिटी मार्किंग /ट्रेडमार्क /कॉपीराईट/एफ.एस.एस.ए.आई./प्रदूषण नियंत्रण/जेड--Zero Effect Zero Defect आदि) प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख, प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी।

8.7 **मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति** – श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि

एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्ष तक निम्नवत् देय होगी–

जनपद / क्षेत्र की श्रेणी	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति मात्रा
श्रेणी–ए	50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
श्रेणी–बी	50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 3 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

9. गुणवत्ता तथा मानक प्रोत्साहन–

9.1 तकनीकी के क्षेत्र में निरंतर हो रहे द्रुत विकास एवं पर्यावरण तथा तकनीकी मानकों के प्रति वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे उच्चीकृत मानकों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उन्नयन एवं परीक्षण सम्बन्धी आधारभूत अवस्थापना पर किया जाने वाला निवेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। अतः उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं एवं मानकों को अपनाने, गुणवत्ता विकास तथा इण्डस्ट्री 4.0 तकनीकी को अपनाते हुये उत्पादन दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.2 उन्नत तकनीकी का लाभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तक पहुंचाने के लिए सेमिनार के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा, ताकि उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ, विभिन्न क्षेत्रों यथा– उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा–दक्षता, गुणात्मक–पैकेजिंग, परीक्षण–सुविधाएं एवं कम्प्यूटरीकृत गुणवत्ता–नियंत्रण आदि में मिल सके।

9.3 **जेड प्रमाणित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को पुरस्कारः** जेड योजनान्तर्गत गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीन श्रेणियों में प्रमाणन की व्यवस्था है। गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज श्रेणी में प्रमाणन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र तथा निम्नवत् धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी–

जेड प्रमाण पत्र श्रेणी	पुरस्कार धनराशि
गोल्ड श्रेणी	रू0 75000 प्रति इकाई
सिल्वर श्रेणी	रू0 50000 प्रति इकाई
ब्रांज श्रेणी	रू0 25000 प्रति इकाई

योजना अवधि में एक इकाई द्वारा एक श्रेणी के अन्तर्गत ही पुरस्कार का लाभ लिया जा सकेगा।

10. उद्यमिता तथा कौशल विकास प्रोत्साहन–

10.1 राज्य के सभी जनपदों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित कर, उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि नवयुवकों को उद्यम स्थापना हेतु उन्हें प्रोत्साहित कर, रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजक के रूप में स्थापित किया जा सके।

10.2 विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और विपणन में आधुनिक तकनीक पर कारीगरों एवं युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों में काम कर रहे ख्याति प्राप्त सरकारी / गैर सरकारी संगठनों / संस्थाओं तथा बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सहयोग लिया जाएगा।

11. विपणन प्रोत्साहन–

11.1 प्रदेश में निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग के अनुरूप विपणन सामर्थ्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस क्षेत्र की कमी को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। उत्तराखण्ड हथकरघा एवं

हस्तशिल्प विकास परिषद (UHHDC) द्वारा वाणिज्यिक ई–कामर्स पोर्टल का सहयोग लेते हुये विपणन को प्रोत्साहन दिया जायेगा, जिससे परम्परागत शिल्पकारों को प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा सके।

11.2 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे वह राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनी एवं क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन करते हुए हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों की सहभागिता को प्रोत्साहित कर सके।

11.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को GeM पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

11.4 प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को निविदा के समय सामग्री/सेवाओं के शासकीय उपापन में वरीयता दी जायेगी।

12. वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया–

12.1 इस नीति से सम्बंधित सभी वित्तीय प्रोत्साहन सहायता एवं पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, जिसकी स्थिति आवेदक को ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। इस हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा सम्बन्धित वेबसाइट में यथा–आवश्यक परिवर्तन कराया जायेगा।

12.2 नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाइयों को निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। सम्बंधित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित इसे उद्योग निदेशालय को अग्रसारित किया जायेगा।

12.3 नीति अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति एवं पुरस्कार के लिये चयन हेतु निम्नवत गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति उत्तरदायी होगी–

1. महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष
2. विभागाध्यक्ष, राज्य कर विभाग/ऊर्जा/ उरेडा/ श्रम/ वन एवं पर्यावरण/ सूचना प्रौद्योगिकी/ आयुष/कृषि/उद्यान/ लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर विभागाध्यक्ष के स्तर का हो। – सदस्य
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड – सदस्य
4. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक सदस्य – सदस्य
5. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड –सदस्य सचिव

आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञ विभागों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।

12.4 जिला स्तर पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी – सदस्य
4. लीड बैंक प्रबन्धक – सदस्य
5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र – संयोजक सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा। यह समिति

प्रत्यायोजित शक्ति (Delegated Power), यदि इस प्रकार का प्रत्यायोजन किया जाता है, तो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय ले सकेगी। यह समिति योजना की प्रगति के लिये जनपद स्तर पर आवश्यक विभागीय समन्वय एवं समीक्षा के लिये भी उत्तरदायी होगी।

12.5 प्रमुख सचिव/सचिव, एमएसएमई, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का निम्नवत् गठन किया जाएगा--

1. प्रमुख सचिव/सचिव, एम.एस.एम.ई. -- अध्यक्ष
2. सचिव/अपर सचिव, वित्त/ऊर्जा/उरेडा/श्रम/वन एवं पर्यावरण/सूचना प्रौद्योगिकी/आयुष/कृषि/उद्यान/लोक निर्माण विभाग – सदस्य
3. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग –संयोजक सदस्य

प्रमुख सचिव/सचिव एम.एस.एम.ई. द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञ विभागों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा। इस समिति का दायित्व नीति की प्रगति समीक्षा एवं अंतर--विभागीय समन्वय का होगा। आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों को इस समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर, इनका निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

13. **सामान्य प्रावधान/मार्गदर्शक सिद्धांतः**

13.1 यह सामान्य प्रावधान/मार्गदर्शक सिद्धांत इस नीति के अन्तर्गत पात्र सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर लागू होंगे।

13.2 यह नीति दिनांक 01 अगस्त, 2023 से लागू होकर पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

13.3 इस नीति के अन्तर्गत प्रदत्त सभी लाभ, दिनांक 01 अगस्त, 2023 से नीति के लागू रहने की अवधि तक उत्पादन में आने वाले सभी पात्र उद्यमों को अनुमन्यतानुसार निर्धारित सीमा में निर्धारित अवधि तक देय होगा।

13.4 इस नीति में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा। नीति में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में नीति अन्तर्गत पूर्व से लाभ प्राप्त कर रही इकाईयां, उक्त लाभ प्राप्त करती रहेंगी। नीति के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार महानिदेशक/आयुक्त उद्योग को होगा।

13.5 इस नीति में अनुमन्य गतिविधि, निषेध सूची, प्राथमिकता श्रेणी के उद्यम तथा अति–प्राथमिकता श्रेणी के उद्यम की सूची को संशोधित करने का अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा।

13.6 सम्भावित उद्यमियों/निवेशकों को उद्यम स्थापित करने और उद्यम में किये गये पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

13.7 वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करने वाली इकाई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या आरबीआई/सेबी द्वारा अनुमोदित ऐसे वित्तीय संस्थानों/बैंकों, जिनके द्वारा सावधि ऋण दिया गया है, की अनुमोदित बैंक एप्रेजल रिपोर्ट के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगी। बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट प्रोत्साहनों की गणना के लिए परियोजना लागत के मूल्यांकन के लिए आधार बनेगी।

13.8 इस नीति के तहत प्रोत्साहन की गणना के प्रयोजन के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का अर्थ वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था/विभाग द्वारा इम्पैनल्ड संस्था/प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परियोजना लागत से होगा और यह परियोजना लागत प्रोत्साहनों के निर्धारण का आधार होगी।

13.9 इस नीति के तहत उल्लिखित सभी वित्तीय प्रोत्साहन पोस्ट–प्रोडक्शन अर्थात् वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारम्भ करने की तिथि के पश्चात इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर प्रदान किए जाएंगे।

13.10 इस नीति के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर पूंजी निवेश उपादान दावा निर्धारित पोर्टल पर पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अशुद्ध एवं अस्पष्ट दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

13.11 प्रदेश में विभिन्न नीतियां जैसे मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद नीति, पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, अरोमा पार्क नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति आदि प्रभावी हैं। उक्त नीतियों के अंतर्गत एक ही मद/घटक में वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ केवल एक ही स्रोत से अनुमन्य होगा, जिससे कि एक ही प्रकार के लाभ की द्विरावृत्ति न हो सके।

13.12 किसी इकाई के स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन की स्थिति में, इकाई द्वारा विभाग से इसकी पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, ताकि इकाई के स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन होने की दशा में विद्यमान इकाई को मिल रहे प्रोत्साहनों का लाभ शेष अनुमन्य अवधि तक मिलता रहे। पात्रता अवधि तथा वित्तीय प्रोत्साहन की मात्रा/सीमा किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ायी जायेगी।

13.13 नीति अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई को न्यूनतम 5 वर्ष तक कार्यरत रहना आवश्यक होगा। प्राकृतिक आपदा के कारणों से अधिकतम 6 माह तक इकाई बन्द रहने पर, इसे बन्द होने की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। लाभ प्राप्त करने वाली इकाई यदि उत्पादन तिथि से 5 वर्ष के मध्य, 6 माह से अधिक समय तक बन्द पायी जाती है तो, नीति अन्तर्गत प्रदत्त सभी वित्तीय प्रोत्साहन की वसूली, इकाई से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ, भू–राजस्व सादृश्य की जा सकेगी। आपदा अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुये इस नीति के अन्तर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा वसूली का निर्णय लिया जा सकेगा। इस निर्णय से असन्तुष्ट पक्ष द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

13.14 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं/दिव्यांग के स्वामित्व वाले उद्यमों को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद से 5 वर्षों के भीतर, इकाई के अंशधारिता/स्वामित्व के बदलाव की स्थिति में, नया अंशधारक/स्वामी उसी श्रेणी का होना चाहिए। यदि नया अंशधारक/स्वामी उसी श्रेणी से नहीं हैं, तो ऐसी इकाइयों को दी जाने वाली प्रोत्साहन की समस्त राशि, प्रोत्साहन प्राप्त करने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ वसूल की जाएगी।

13.15 पहले से मौजूद किसी उद्यम के विभाजन अथवा पुनर्गठन या पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र एवं मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तान्तरण अथवा अन्यत्र से विस्थापित इकाई नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।

13.16 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग होगा।

13.17 निषेध/प्रतिबन्धित सूची के उद्योग इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

13.18 इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पात्र उद्यम को अपने उद्यम में **प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार** उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

संलग्नक : 1(अ)– निषेध सूची :

i.	केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।
ii.	केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।
iii.	उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16.02.2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद, 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण।
iv.	ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स।
v.	आरा मिल।
vi.	पटाखों का विनिर्माण।
vii.	खनन तथा स्टोन क्रशर की इकाईयां (सोप स्टोन, सिलिका प्रसंस्करण एवं इसके उप–उत्पाद को छोड़कर)।
viii.	थर्मल पॉवर प्लाण्ट।
ix.	स्टील एवं स्टील इंगट विनिर्माण।
x.	भट्ठी (Furnace) का उपयोग करने वाली समस्त इकाईयां।
xi.	केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिनिषिद्ध श्रेणी की सूची में सम्मिलित समस्त उत्पाद।
xii.	पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।
xiii.	भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।
xiv.	पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र की समस्त गतिविधियां।

संलग्नक : 1(ब)– प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम :

1.	नेचुरल फाइबर तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्यम।
2.	'एक जनपद दो उत्पाद' योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पाद विनिर्माण उद्यम।
3.	राज्य के 'जी आई टैग' प्राप्त उत्पादों के विनिर्माणक उद्यम।
4.	विनिर्माणक क्षेत्र के स्टार्टप्स।
5.	जैव–प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उत्पाद।
6.	सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद विनिर्माणक उद्यम।

संलग्नक : 1(स)– अति–प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम :

1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्यम।
2.	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यम।
3.	फ्रूट आधारित वायनरी।
4.	पिरूल से ब्रिकेट्स/पेलेट्स विनिर्माणक उद्यम।
5.	औषधीय हर्ब्स एवं सगन्ध पौध पर आधारित विनिर्माणक उद्यम।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

O/C

संख्याः 1145 ( )/ VII–3–23 / 04(01)–एम0एस0एम0ई0 / 2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड।
9. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मण्डलायुक्त, कुँमाऊ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, 50 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. वित्त (व्यय एवं नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
15. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
9/8/23
(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।

O/C